स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन, एन एच बाईपास, पी.बी संख्या. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ. कोच्ची-682025,

फोन- 0484-2333610-616, 2347965

फाक्स: 0484-2341935

प्रशा./नियुक्ति/05/2022-23

अधिसूचना संख्या.42/2025

<u>संविदा आधार पर कार्यपालक(विपणन) की नियुक्ति</u>

स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय कोच्ची में संविदा आधार पर कार्यपालक(विपणन) के पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। यह नियुक्ति प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और प्रदर्शन एवं आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के विस्तृत निबंधन एवं शर्तें तथा पात्रता मानदंड नीचे दिए गए है:

1	आवश्यक अनुबंध कर्मचारियों की संख्यों	एक(01)
2	नियुक्ति का स्थान	स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय कोच्ची
3	शैक्षणिक योग्यता	एमबीए(विपणन) या समकक्ष(नियमित पाठ्यक्रम)
4	अनुभव	कृषि वस्तुओं का विपणन/व्यापार या निर्यात गतिविधियों/बुनियादी ढांचे की योजनाओं का कार्यान्वयन आदि में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव
5	आयु सीमा	इस अधिसूचना का तिथि तक आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6	पारिश्रमिक	चयनित कार्यकारी द्वारा अर्जित अनुभव और योग्यता के स्तर के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए 30,000/- रुपये तथा विस्तारित अवधि के लिए 35,000/- रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
7	नियुक्ति की अवधि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए, जिसे प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर एक और वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
8	चयन विधि	चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर होगा
9	साक्षात्कार का स्थान, तिथि और समय	मुख्यालय, कोच्ची, केरल तिथि और समय की सूचना उचित समय दी जाएगी

चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों की एक रैंक सूची/पैनल बनाई जाएगी और उन्हें बोर्ड के आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कार्यकारी(विपणन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्ष के लिए होगी। योग्य उम्मीदवार **30.04.2026** तक या उससे पहले https://spicesboard.in/recruitment पर आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

दिनांक : 11 मार्च 2026 **प्रभारी निदेशक (प्रशासन)**

<u>अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:</u>

1. आवेदन करने से पहले, आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अनुबंध के पद के लिए ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते है।
2. अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी तथा किसी भी परिस्थिति में उन्हें नियमित नियुक्तियों से नहीं जोड़ा जाएगा तथा किसी भी स्तर पर उन्हें नियमित नहीं किया जा सकेगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को 200/- रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।
4. परीक्षा/साक्षात्कार के लिए चयनित आवेदकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साक्षात्कार का स्थान और तिथि यथासमय सूचित की जाएगी।
5. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्पाइसेस बोर्ड से संचार प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
6. यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यदि चयन के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
7. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी।
8. आवेदकों की आयु, योग्यता आदि के संबंध में पात्रता इस अधिसूचना की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
9. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com पर अधिसूचना/अवसरों की जांच करें और किसी तीसरे पक्ष की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा न करें।
10. अपूर्ण आवेदनों स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. समाप्ति: स्पाइसेस बोर्ड एक (1) महीने का पूर्व लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. जो लोग पहले से ही स्पाइसेस बोर्ड में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं, चाहे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यपालक(विपणन) की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें,

1) चयनित कार्यपालक द्वारा अर्जित अनुभव और योग्यता के स्तर के आधार पर देय पारिश्रमिक 30,000/- रुपये से 35,000/- रुपये प्रति माह होगा। एक माह में की गई सेवा का पारिश्रमिक अगले माह में देय होगा।
2) नियुक्ति की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार एवं कार्यनिष्पादन के आधार पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
3) कार्यपालक (विपणन) किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा जैसे महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय आवास, निजी स्टाफ, सीजीएचएस और चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का हकदार नहीं होगा।
4) परीक्षा/साक्षात्कार, कार्यभार ग्रहण करने या उसके पूरा होने पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। हालाँकि, यदि उन्हें बोर्ड के आधिकारिक कार्य के संबंध में देश के अंदर यात्रा करनी पड़े, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, उन्हें समान ग्रेड के नियमित कर्मचारी को देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
5) कार्य समय: कार्यपालक(विपणन) निर्धारित सामान्य कार्यालय समय (अर्थात, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) का पालन कर सकते हैं। हालाँकि, आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध कार्य पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।
6) छुट्टी : कार्यपालक (विपणन) को एक कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर बारह (12) दिनों का छुट्टी प्राप्त होगा। कार्यपालक (विपणन) को स्वीकार्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साथ ही, अप्रयुक्त अवकाश को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और न ही भुनाया जाएगा।
7) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस): कार्यपालक (विपणन) के मासिक पारिश्रमिक से यथायोग्य टीडीएस की कटौती की जाएगी। मांग किए जाने पर बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
8) नियुक्ति की अवधि के दौरान, कार्यकारी (विपणन) को बोर्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना होगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपा जाएगा।
9) स्पाइसेस बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी, उन्हें महत्वपूर्ण/गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी मिलने की संभावना है। वे अपने कार्यकाल के दौरान एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताएँगे जो उसे जानने/रखने के लिए अधिकृत न हो।
10) स्पाइसेस बोर्ड, आवश्यकता पड़ने पर, बिना कोई और सूचना दिए या कोई कारण बताए, चयन प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मामले में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
11) नियुक्ति की समाप्ति: स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यपालक (विपणन) की नियुक्ति समाप्त कर देगा:

i. कार्यपालक (विपणन) सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ है;

ii. कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है;
iii. कार्यपालक (विपणन) बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने में विफल रहता है;
iv. कार्यपालक (विपणन) में ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है।
v. बोर्ड के कोई अन्य प्रशासनिक कारण।

नोट: बोर्ड बिना कोई कारण बताए एक महीने का लिखित नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नियुक्ति समाप्ति, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक महीने पूरे होने के ठीक बाद वाले दिन प्रभावी होगी।

दिनांक : 11 मार्च 2025 **प्रभारी निदेशक(प्रशासन)**